

कार्यालय मुख्य अग्निशमन

अधिकारी जनपद हरिद्वार।

ईमेल—cfohdr.ukfs@gmail.com

फोन नं०—01334—265700

पत्रांक: न-10(2)/सीएफओ-एच/2022

दिनांक: जून 23, 2022।

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक

बी.एम.एल मुन्जाल ग्रीन मीडोज स्कूल,

निकट—जवाहर नवोदय विद्यालय, रोशनाबाद,

जनपद हरिद्वार।

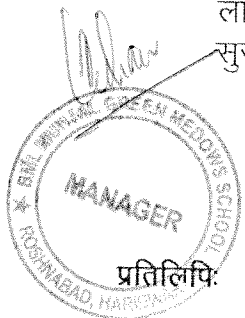
विषय: अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के **Annual Clearance** के सम्बन्ध में।

कृपया आपके आवदेन यूनिक नम्बर—48868915, दिनांक: 15.06.2022 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी फायर स्टेशन हरिद्वार द्वारा किया गया। प्रभारी फायर स्टेशन हरिद्वार की निरीक्षण आख्या के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्निजोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी। समस्त अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में है तथा नवीनीकरण किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त भवन में कुल G+2 तल है। जिसके प्लॉट का क्षेत्रफल 8,540.00 वर्ग मी० है तथा उक्त भवन का क्षेत्रफल (Covered Area) 2,868.00 वर्ग मी० है। भवन/संस्थान की ऊँचाई 09 मी० है। भवन/संस्थान में बेसमेन्ट है/ नहीं है, जिसका क्षेत्रफलवर्ग मी० है।

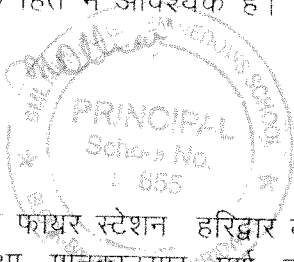
अतः उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुभाग-03 की अधिसूचना संख्या-342/XX-3/2021-2(39)/2006 देहरादून दिनांक: 29 नवम्बर, 2021 के अनुपालन में दिनांक: 23 जून 2022 से 22 जून 2025(3 वर्ष) तक के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाये।

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाय।
2. शिक्षण संस्थान के सभी शिक्षक/कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है, अतः प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सेट बैक एरिया व निर्माण Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
5. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
6. संस्थान की अग्निशमन व्यवस्था के कार्यशील होने का स्व-घोषण प्रमाण पत्र/Audit Report प्रति छः माह में प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा।
7. यदि उपरोक्त अग्निशमन सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान के किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा।
8. संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.बी.सी 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है।



प्रतिलिपि:

प्रभारी फायर स्टेशन हरिद्वार को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संस्थान में अग्निशमन व्यवस्था मानकानुसार पूर्ण कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही समय-समय पर अमल में लाना सुनिश्चित करेंगे।



(नरेन्द्र सिंह कुँवर)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हरिद्वार।